

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/ बिशा/ ज्ञानपुंज /2019/1750

भोपाल, दिनांक 19.08.2019

वित्तीय-आदेश

जिलों में कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों के लिए दिनांक 24.6.2019 से 6.9.2019 तक ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा रहा है । ब्रिज कोर्स के सफलता पूर्वक संचालन हेतु सघन मानीटरिंग हेतु जिलों में गठित ज्ञानपुंज दल के सदस्यों को भ्रमण के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु जिन जिलों में ज्ञानपुंज दल के सदस्यों की संख्या 3 से अधिक है ऐसे 20 जिलों को रु. 1.00 लाख एवं जहाँ सदस्यों की संख्या एक या दो या तीन है ऐसे 8 जिलों को रु. 50 हजार प्रति जिला के मान से (लोक वाहन/यात्रा भत्ता हेतु) निम्नानुसार जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	जिले का नाम	वंटित राशि	डी0डी0ओ0 कोड
1	श्यापुर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	4002003008
2	मुरैना	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	2502003083
3	गुना	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	1302003001
4	टीकमगढ़	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	4202003001
5	छतरपुर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	0602003001
6	पन्ना	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	2802003001
7	सागर	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	3302003002
8	दमोह	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	0802003001
9	नीमच	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	2702003045
10	मंदसौर	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	2402003001
11	उज्जैन	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	4302003046
12	शाजापुर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	3802003001
13	आगर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	5102003001
14	देवास	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	1002003001
15	इन्दौर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	1712003001
16	खण्डवा	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	2102003052
17	विदिशा	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)	4502003001
18	सीहोर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	3502003001
19	रायसेन	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	2902003001
20	बैतूल	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	0302003001
21	होशंगाबाद	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	1602003002
22	कटनी	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	2002003056
23	जबलपुर	रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र)	1802003091

24	नरसिंहपुर	रु. 50,000 /- (रु. पचास हजार मात्र)	2602003003
25	छिन्दवाड़ा	रु. 100000 /-(रु. एक लाख मात्र)	0702003001
26	सिवनी	रु. 100000 /-(रु. एक लाख मात्र)	3602003001
27	बालाघाट	रु. 100000 /-(रु. एक लाख मात्र)	0102003001
28	सिंगरौली	रु. 100000 /-(रु. एक लाख मात्र)	5002003002
	योग	रु. 24,00,000 /- (रु. चौबीस लाख मात्र)	

उक्त व्यय माँग संख्या 40-2202-02-001-0101-5541-V-42-007 के अंतर्गत विकलनीय होगी ।

अतः समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय औपचारिकताएँ पूर्ण कर राशि का आहरण कर, संबंधितों को भुगतान करें एवं उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें ।  
" आयुक्त द्वारा अनुमोदित "



(सजय कुमार)


संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19-08-2019

पृ0क0/विद्युत/शासन/2019/1751  
प्रतिलिपि :-

- 1/ महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 3/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0
- 4/ समस्त संबंधित कोषालय अधिकारी
- 5/ सहायक संचालक बजट कक्ष लोक शिक्षण संचालनालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के डी.डी.ओ. कोड में राशि सर्वर में फीड करने हेतु।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की ओर भेजकर लेख है कि उक्त राशि 30 सितम्बर 2019 के पूर्व आहरण कर संबंधितों को भुगतान करें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें ।



संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश